

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 155/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सरदारखान वगैरा बनाम कसुम्बी वगैरा

पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री हुकमसिंह गोदारा

विप्रार्थीगण वकील :-

**निर्णय**

**दिनांक - 01.06.17**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प ईटादा मे पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा गौहड़ का तला, पटवारी हल्का गौहड़ का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 67 रकबा 61.11 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा गौहड़ का तला, पटवारी हल्का गौहड़ का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 67 रकबा 61.11 बीघा भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बीजासर को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फौसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ईटादा मे दिनांक 01.06.17 सुनाया गया ।

(भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन  
बाड़मेर

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाड़मेर**

क्रमांक/भू.अ./2017/

दिनांक:-

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक  
बीजासर

प्रार्थीगण :-

1.सरदारखान पुत्र दरू 2.रसीदा पत्नि दरू  
3.दरीयाखान पुत्र अदरूप, जाति मुसलमान,  
निवासी अधरीम का तला  
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. कसुम्बी पत्नि आईदानराम जाति सुथार  
निवासी बावड़ीकला, तहसील चौहटन  
2.अहमद 3.करिम 4.जानू 5.वावु पि.जिंदा  
6.सलीमत पत्नि अहमद 7.जीना पुत्र करिम  
8.सरीफों पत्नि जानू 9.नबीयत पत्नि अमीर  
जाति मुसलमान निवासी गौहड़ का तला  
तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 155/2017

दिनांक : 01.06.2017

**आदेश**

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा गौहड़ का तला, पटवारी हल्का गौहड़ का तला, तहसील सेड़वा के खेत खसरा सं. 67 रकबा 61.11 बीघा भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीश्नर फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्य पेश करे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।

क्रमांक/भू.अ./2017/ 1099-1104  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार सेड़वा
- 2 पटवार हल्का गौहड़ का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थीगण सरदारखान वगैरा
- 4 विप्रार्थीगण कसुम्बी वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन  
दिनांक:- 01.06.2017 चौहटन

(भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन  
01.06.2017 चौहटन